

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी योजना के अन्तर्गत

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 4 में स्वःवित्त पोषित योजनान्तर्गत स्टिल्ट+10 मंजिले भवन प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण अवधि दिनांक 04-04-2015 से 05-05-2015 तक

(लिफ्ट सुविधायुक्त किया जायेगा)

सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट की श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग मी० में)	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फिट में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
					पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)
1बी०एच०के०	400	52	538	15.15	1.52	0.76
2बी०एच०के० टाईप बी	300	70	753	20.40	2.04	1.02
2बी०एच०के० टाईप ए	100	80	861	23.30	2.33	1.17

- *आरक्षित वर्ग (अनु०जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के किश्तों आवेदकों को मूल्य का 5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष आवेदकों को मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि तथा फ्लैट की शेष धनराशि स्वः वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष की बिना ब्याज की 8तिमाही समान किश्तों में जमा करनी होगी। विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व मूल्य अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- लिफ्ट का प्राविधान होने के कारण सभी तलों पर फ्लैट्स का मूल्य एक समान रखा गया है।
- आरक्षण:- आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 04-04-2015 से 05-05-2015 तक निर्धारित धनराशि रुपये 500/- के भुगतान पर एच०डी०एफ०सी० बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में प्राप्त की जा सकती हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके इन्हीं बैंकों में उक्त तिथि तक जमा की जा सकती हैं।

एच०डी०एफ०सी० बैंक:- (1) 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ मो०नं० 09358214343 (2) 381, वैस्ट्रन कचहरी रोड़, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड़ मेरठ:- (4) 6, रॉयल प्लाजा, रुड़की रोड़, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी०एफ० 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, डी०सी०एम० बिल्डिंग बारहा खम्बा रोड़, नई दिल्ली-110001 (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आर०डी०सी० सेक्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत, शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो०नं० 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायें।

प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपरोक्त योजनाओं की विवरण पुस्तिकाएँ उपलब्ध है। उपयोग में लाने पर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट अलग से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा।

2. योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी योजना प्रभारी से (दूरभाष सं० 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 3. फ्लैट्स का पंजीकरण किसी सम्पत्ति/तल विशेष के लिये मान्य नहीं होगा। सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त सभी तलों के फ्लैट्स का आवंटन एक साथ लाटरी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।

सचिव।

- सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ -

उपाध्यक्ष।